न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/32/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/166

बनाम

अपीलार्थी

शकुन्तला पुत्री श्री विजयसिंह,
नि0 ग्राम व पोस्ट–जाट बहरोड, तहसील–मुण्डावर
जिला–अलवर (राज.)–301714

प्रत्यर्थी

1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर
2. विकास अधिकारी, पं.स. मुण्डावर

प्रवेश तिथि :: 11.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 30.05.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांक: 07.02.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग एवं RTI PORTAL पर online सूचना आवेदन–पत्र दिनांक: 28.02.2022 के माध्यम से विकास अधिकारी, पं.स. मुण्डावर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सरपंच पद के लिए लॉटरी प्रणाली, चयन प्रक्रिया, लॉटरी प्रणाली शुरू होने से आज तक ग्राम पंचायत जाट बहरोड के सरपंचों का नाम, कैटेगरी आदि कुल 05 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा सूचना आवेदन दिनांक: 07.02.2022, पत्र सं. 19–20 दिनांक: 21.02.2022 के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) मुण्डावर को अन्तरित किया गया है एवं online सूचना आवेदन–पत्र दिनांक: 28.02.2022, विकास अधिकारी, पं.स. मुण्डावर द्वारा पत्र सं. 4212–13 दिनांक: 04.03.22 के माध्यम से विनिश्चय कर ग्राम विकास अधिकारी, करनीकोट, पं.स. मुण्डावर (अलवर) को अन्तरित कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है। प्रकरण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) मुण्डावर द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने एवं विकास अधिकारी, पं.स. मुण्डावर द्वारा किए गए विनिश्चय के विरूद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी सं.01 को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
7. तथापि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने पर प्रकरण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) मुण्डावर द्वारा अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना/विनिश्चय से अवगत नहीं कराया गया है। एवं प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम के आलोक में जानकारी विधि विशेषज्ञ से प्राप्त करने बाबत सूचित किया गया है।
8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि "ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उक्त अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, **जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है।**"
9. प्रश्नगत अपील का अवलोकन करने पर **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) मुण्डावर के ज्येष्ठ पंक्ति के वरिष्ठ अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर है एवं पंचायतीराज विभाग के कार्यालयों की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।**
10. अतः **उक्त आलोक में अपील खारिज कर** निस्तारित जाती है, साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) मुण्डावर द्वारा यदि प्रकरण में किसी प्रकार की सूचना प्रदान नहीं की गई है तो उनके ज्येष्ठ अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर को नियमानुसार उक्त अधिनियम के तहत पृथक से प्रथम अपील प्रस्तुत करें, साथ ही पंचायतराज विभाग के कार्यालयों के अपील प्राधिकारी के संबंध में अपने स्तर से जानकारी प्राप्त कर संबंधित को अपील प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ ग्राम विकास अधिकारी, करनीकोट, पं.स. मुण्डावर (अलवर) को भी प्रेषित हो।
12. आज दिनांक: 30.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)